प्रेषक,

संख्या– 1740 बी/क.नि.–6–2017–20(बी)–15/2017

सी0एल0गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन, अनु0–6 लखनऊ: दिनांक: 29 नवम्बर, 2017

विषय– प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु एनपीए समाधान योजना के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु शासनादेश संख्या 1523बी/क0नि0–6–2017–1(बी)/2017 दिनांक: 12, अक्टूबर, 2017 द्वारा एनपीए समाधान योजना प्रसारित की गयी थी। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश दिनांक: 12, अक्टूबर, 2017 के माध्यम से प्रसारित एनपीए समाधान योजना में निम्नवत् संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है:–

(क) योजना में उल्लिखित सूचना पत्र/(परिशिष्ट ख) विलोपित किया जाता है।

(ख) योजना के प्रस्तर 5.6.7, 5.6.8, 5.6.19, 5.6.20 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

प्रस्तर सं0	पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
5.6.7	इस प्रकार एन.आई.सी. द्वारा फिल्टर्ड डाटा को जिला स्तरीय समिति द्वारा 'आधार–सीडेड', 'गैर आधार सीडेड' तथा 'गैर आधार सीडेड' तथा 'गैर–भूलेख मैपिंग' वाले किसानों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। आधार डाटा की पुष्टि यूआईडीएआई के माध्यम से की जायेगी।	इस प्रकार एन.आई.सी. द्वारा फिल्टर्ड डाटा में से जिला स्तरीय समिति द्वारा आधार सीडेड डाटा वर्गीकृत किया जायेगा। आधार डाटा की पुष्टि यूआईडीएआई के माध्यम से की जायेगी।
5.6.8	List-2 में दर्ज किसानों के डाटा को जिला स्तरीय समिति द्वारा एन.आई.सी. की राज्य इकाई को अग्रसारित किया जायेगा। उक्त डाटा पर एन.आई.सी. की राज्य इकाई द्वारा आवश्यक फिल्टर चलाये जायेंगे। एन.आई.सी. से प्राप्त फिल्टर्ड डाटा को जिला स्तरीय समिति द्वारा ''आधार–सीडेड', गैर–भूलेख मैपिंग' वाले किसानों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा। आधार डाटा की पुष्टि यूआईडीएआई के माध्यम से की जायेगी।	List-2 में दर्ज किसानों के डाटा को जिला स्तरीय समिति द्वारा एन.आई.सी. की राज्य इकाई को अग्रसारित किया जायेगा। उक्त डाटा पर एन.आई.सी. की राज्य इकाई द्वारा आवश्यक फिल्टर चलाये जायेंगे। एन.आई.सी. से प्राप्त फिल्टर्ड डाटा में से जिला स्तरीय समिति द्वारा आधार सीडेड वाले किसानों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा। आधार डाटा की पुष्टि यूआईडीएआई के माध्यम से की जायेगी।
5.6.1.9	एन.पी.ए. खातों में धनराशि के अंतरण के पश्चात् संबंधित किसानों को अपनी–अपनी बैंक शाखा में जाकर अपने ऋण खाता सं0	एन.पी.ए. खातों में धनराशि के अंतरण के पश्चात् संबंधित किसानों को अपनी–अपनी बैंक शाखा में जाकर अपने

	से संबंधित मोचन या सूचना पत्र का विवरण प्राप्त करना होगा। किसानों द्वारा इन प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।	ऋण खाता सं0 से संबंधित मोचन का विवरण प्राप्त करना होगा। किसानों द्वारा इन प्रमाण पत्रो को ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।
5.6.20	बैंक ऐसे किसानों से, जिन्होंने सूचना पत्र (परिशिष्ट ख) प्राप्त किया हो, से उनका 'आधार विवरण' अंकित करने हेतु सहमति पत्र (परिशिष्ट–ग) प्राप्त करेंगे। जिला स्तरीय समिति सभी अर्ह किसानों की, जिनके एनपीए खाते के मोचन/राहत की धनराशि अंतरित कर दी गयी है, के धनराशि जमा–विवरण को पोटर्ल पर अपलोड किया जायेगा।	जिला स्तरीय समिति सभी अर्ह किसानों की, जिनके एनपीए खाते के मोचन/राहत की धनराशि अंतरित कर दी गयी है, के धनराशि जमा–विवरण (स्क्राल) (परिशिष्ट 5 पर) समस्त बैंकों से प्राप्त करेगी तथा सुसंगत विवरण को पोटर्ल पर अपलोड किया जायेगा।

(ग) योजना के प्रस्तर 5.6.21, 5.6.22 एवं 5.6.23 विलोपित किया जाता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के आलोक में शासनादेश संख्या 1650बी/क0नि0–6–2017–20(बी)/2017 दिनांकः 31, अक्टूबर, 2017 में निहित व्यवस्था के अनुसार समयान्तर्गत समस्त कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी0एल0गुप्ता)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 1740(1) बी/क.नि.–6–2017–20(बी)–15/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त/सहकारिता/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/कृषि/राजस्व/सूचना, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. विशेष सचिव मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
8. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
9. विशेष सचिव (नीलरत्न), वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0।
11. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एल0गुप्ता)
संयुक्त सचिव।